बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या–10/क्षे0स्था0–08 (लि0स0नि0)–08/2017(खण्ड)–सा0प्र0–16103/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "**बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2011**" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

   (i) यह नियमावली "*बिहार समहारणालय लिपिकीय संवर्ग* (भर्ती एवं सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (iii) यह सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–14227 दिनांक 02.09.2013 के प्रवृत होने की तिथि, दिनांक 02.09.2013 से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार समाहरणालय लिपिकीय *संवर्ग* (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2011 के नियम –8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

   "8. प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती।–(i) नियुक्ति प्राधिकार इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

   (ii) समूह–'घ' से 'ग' में प्रोन्नति, वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी, परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तब तक देय नहीं होगी, जब तक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही निम्नर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम) 18/12/17
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/क्षे0स्था0–08(लि0स0नि0)–08/2017(खण्ड)सा0प्र0–16103/पटना–15,दि0 18-12-17

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 18/12/17
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–10 / क्षे0स्था0–08(लि0स0नि0)–08 / 2017(खण्ड)–सा0प्र0–16103 / पटना–15, दि0 18 12 17

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, बिहार विधान सभा / विधान परिषद् / राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना / बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 18/12/17

सरकार के अपर सचिव।

अधिसूचना

संचिका संख्या–10/क्षे0स्था0–08(लि0स0नि0)–08/2017(खण्ड)–सा0प्र0..16104..........दिनांक–18-12-17 .... .अधिसूचना संख्या–16103.......दिनांक..18-12-17/ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/12/17
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar

General Administration Department

Notification

File N0- 10/kshe. stha.-08(li.sa.ni)-08/2017(part)GAD 16104--------/dated:18-12-17 In exercise of powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules for the amendment of the Bihar Collectorate Clerical Cadre (Recruitment and Service Condition) Rules, 2011.

1. Short title Extent and Commencement –(i) These Rules may be called "The Bihar Collectorate Clerical Cadre (Recruitment and Service Condition) (Amendment) Rules, 2017

   (ii) It shall extend to the whole state of Bihar.

   (iii) It shall come in to force from dated 02-09-2013, the date of commencement of the Notification no. 14227 dated 02-09-2013 of the General Administration Department.

2. Substitution of rule-8 of the Bihar Collectorate Clerical Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2011 (As amended time to time) Rule-8 of the said Rules, 2011 will be substituted by the following:-

8. Recruitment by promotion :-(i) The appointing authority shall prepare seniority list of Intermediate or equivalent passed employees of group "D";

(ii) The promotion from group "D" to group "C" will be given as per seniority on the recommendation of the Departmental Promotion Committee;

Provided that such promoted Lower Division Clerk shall not be entitled to any subsequent increment after the first increment, unless and until they pass the computer competency test and Hindi Noting and Drafting Examination. Their service on the post of Lower Division Clerk could be confirmed only after passing the said examination.

By order of the Governor of Bihar,

(Rajendra Ram) 18/12/17

Additional Secretary to the Government.

Memo NO- 10/kshe. stha.-08(li.sa.ni) -08/2017(part)GAD 16104---------/dated: 18-12-17
---------- Copy forwarded to joint Secretary In charge, E-gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna to publish in extra ordinary edition of gazette.

18/12/17

Additional Secretary to the Government.

Memo NO- 10/kshe. stha.-08(li.sa.ni) -08/2017(part)GAD 16104--------/dated: 18-12-17
- Copy forwarded to: Accountant General, Bihar, Patna/All the Departments of the Government/All the Head of the Department/ All Commissioners/All District Magistrates/ Registrar General, High Court, Patna/ Secretary, Bihar Legislative Assembly/ Legislative Council/Governor Secretariat/Chief Minister Secretariat/Private Secretary to Deputy Chief Minister, Bihar, Patna and Bihar Staff Selection Commission, Patna for information and necessary action.

18/12/17

Additional Secretary to the Government.